छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / एफ-1-102/2014/18 नया रायपुर, दिनांक 01.12.2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- नगर पालिक निगम / नगर पालिका परिषद् / नगर पंचायत क्षेत्र में नए सिरे से वार्डों का परिसीमन ।

--00--

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 की उपधारा (3) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 की उपधारा (3) अनुसार वार्डों की रचना इस प्रकार से की जाएगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या पूरे निकाय क्षेत्र में यथासाध्य एक जैसी होगी तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र संहृत क्षेत्र हो ।

निकायों के वार्डों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखकर वार्डवार जनसंख्या संतुलित करते हुए नए सिरे से वार्डों का परिसीमन किया जाना आवश्यक हो गया है । विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-102 / 2014 / 18 दिनांक 25.11.14 की छायाप्रति संलग्न है, द्वारा छ.ग.नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम 1994 के नियम 3 के उपनियम (2) में संशोधन किया गया है । यथा संशोधित मूल रूप में उक्त नियम का संदर्भ ग्रहण करते हुए जिलांतर्गत स्थित निकायों के वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करें ताकि अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जा सके । प्रावधान अनुसार प्रस्ताव में निम्नांकित बिन्दुओं की जानकारी का समावेश किया जाए :-

1. नियम 6 के उपनियम (2) अनुसार :-
   - (एक) प्रस्तावित वार्डों की चारों दिशाओं की सीमा,
   - (दो) मानचित्र, जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की चारों दिशाओं को इस प्रकार दर्शाया जाएगा जिससे कि प्रत्येक वार्ड की सीमाएं स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखें,
   - (तीन) जनसंख्या संबंधी पत्रक, जिसमें गत जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के लिए अवधारित वार्डों की कुल संख्या तथा इसके आधार पर प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या,
   - (चार) प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े ।
2. वार्डों का विभाजन (नियम-3)
   - (1) प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या
   - (2) प्रत्येक वार्ड से सम्मिलित क्षेत्र
   - (3) अंतिम अधिसूचना का प्रारूप हिन्दी / अंग्रेजी में

3. वार्डों की सीमा (नियम 4)

    (1) उत्तर में ... .
    (2) पूर्व में ....
    (3) दक्षिण में ....
    (4) पश्चिम में ....

4. वार्डों का क्रमांक तथा नाम
5. जनसंख्या संबंधी पत्रक
    (1) गत जनगणना में प्रकाशित आंकडों के अनुसार निकाय क्षेत्र की जनसंख्या संबंधी पत्रक जिसमें कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या
    (2) प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े
6. वार्डो की सीमा निर्धारण संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन (नियम–7)
7. प्राप्त आपत्तियों/सुझावों का निराकरण (नियम–8)
8. वार्ड विभाजन संबंधी अंतिम अधिसूचना का प्रारूप

वार्ड विभाजन के अंतिम अधिसूचना का प्रारूप हिन्दी/अंग्रेजी हार्डकॉपी के साथ–साथ सॉफ्टकॉपी में दो प्रतियों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही की समय–सारिणी संलग्न है । समय–सारिणी अनुसार वार्डो के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(जितेन्द्र शुक्ला)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक/एफ-1-102/2014/18 — नया रायपुर, दिनांक 01-12-2014

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर ।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
3. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़ ।
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़ ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001"

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 610] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर 2014— अग्रहायण 4, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–102/2014/18.– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

नियम 3 के उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(2) वार्डों की रचना, यथासाध्य, इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, पूरे नगर के सभी वार्डों में एक जैसी हो तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र, संहत क्षेत्र हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

नया रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1–102/2014/18.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–102/2014/18 दिनांक 25–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 25th November 2014

NOTIFICATION

No F-1-102/2014/18.– In exercise of the powers conferred by section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), The Government of Chhattisgarh makes the following amendments in the Chhattisgarh Municipal (Extent of Wards) Rules, 1994, Namely :-

AMENDMENT

In the said rule ,-

For Sub-rule (2) of Rule 3, the following shall be substituted, namely :-

"(2) The formation of wards, as far as practicable shall be made in such a way that the population of each of the wards be the same in all wards throughout the city and the area included in the wards be a compact area."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 611] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर 2014 — अग्रहायण 4, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–102/2014/18 (1).– छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (कमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक (वार्डो का विस्तार) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

नियम 3 के उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

" (2) वार्डों की रचना, यथासाध्य, इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, पूरे नगर के सभी वार्डों में एक जैसी हो तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र, संहत क्षेत्र हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

नया रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1–102/2014/18 (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–102/2014/18 (1) दिनांक 25–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 25th November 2014

NOTIFICATION

No F-1-102/2014/18 (1).— In exercise of the powers conferred by section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh Municipal (Extent of Wards) Rules, 1994, namely :-

AMENDMENT

In the said rule :-

For Sub-rule (2) of Rule 3, the following shall be substituted, namely -

"(2) The formation of wards, as far as practicable shall be made in such a way that the population of each of the wards be the same in all wards throughout the city and the area included in the wards be a compact area."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2014.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – वार्डो के परिसीमन की समय–सारिणी

स.क्र.	दिनांक	विवरण
01	**30.11.2014**	नियमों में आवश्यक संशोधन पश्चात् राजपत्र में प्रकाशन
02	**01.12.2014**	संशोधित नियमों के साथ वार्डो के परिसीमन पर परीक्षण एवं कार्रवाई करने और विधिक अभिमत देने राज्य शासन की ओर से समस्त कलेक्टर्स को पत्र जारी करना
03	**19.12.2014**	वार्डो के परिसीमन का प्रारंभिक प्रकाशन
04	**26.12.2014**	दावा–आपत्ति प्राप्त करने का समय
05	**02.01.2015**	समस्त कलेक्टर्स के द्वारा प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण किया जाना
06	**05.01.2015**	समस्त कलेक्टर्स द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर निर्णय/अभिमत से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रेषित किया जाना
07	**20.01.2015**	वार्डो के परिसीमन के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना प्रकाशन